रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 1972/चैत्र 16, 1894
No. 104] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 1972/CHAITRA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

FOREIGN TRAVAL TAX

New Delhi, the 5th April 1972

G.S.R. 237(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the employees of the Central Government who are paid from the consolidated Fund of India and whose travel is in connection with the affairs of the Union, from whole of the Foreign Travel Tax leviable under sub-section (1) of section 45 of the said Act.

Provided that the employees produce certificates in triplicate in the form specified in the Annexure from the Head of Office, declared as such under rule 10-A of the Delegation of Financial Powers Rules, 1958.

ANNEXURE

Certified that Shri..... (Designation) is paid from the Consolidated Fund of India and the international journey undertaken/to be undertaken by him on..... from..... to..... is in connection with the affairs of the Union.

[No. 5-FTT/72-F. No. 306/31/71-FTT/CX-9.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

विदेश यात्रा कर

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 237(अ)— वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर की ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हे भारत की संचित निधि से संदाय किया जाता है और जिनकी यात्रा संघ के कार्यकलापों से संबंध रखती है, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन उदग्रहणीय समस्त विदेश यात्रा कर से एतद्द्वारा छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि कर्मचारी अपने कार्यालय के प्रधान से, जिसकी वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 के नियम 10-क के अधीन उस हैसियत में घोषित किया गया है, इस के उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप में तीन प्रतियों में प्रमाण पत्र पेश करें।

उपाबन्ध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ——————————(पदाभिधान)

को भारत की संचित निधि से संदाय किया जाता है और उसके द्वारा——————को ———

——————————से ——————————————रु० क

की गई की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा संघ के कार्यकलापों से संबंध रखती है।

[सं० 5-एफ टी टी/72-फा० सं० 306/31/71—एफ टी टी/सी एक्स-9]

INLAND AIR TRAVEL TAX

New Delhi, the 5th April 1972

G.S.R. 238(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Inland Air Travel Tax Act, 1971 (48 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts employees of the Central Government who are paid from the Consolidated Fund of India and Whose travel is in connection with the affairs of the Union, from the whole of the Inland Air Travel Tax leviable under sub-section (1) of section 3 of the said Act:

Provided that the employees produce certificates in triplicate in the form specified in the Annexure from the Head of Office, declared as such under rule 10-A of the Delegation of Financial Powers Rules, 1958.

ANNEXURE

Certified that Shri..... (Designation) is paid from the Consolidated Fund of India and the air travel undertaken/to be undertaken by him on.....from.....to.....is in connection with the affairs of the Union.

[No. 2-IATT/72/305/6/71-IATT/CX-9.]

R. K. THAWANI, Under Secy.

अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर

नई दिल्ली 5 अप्रैल, 1972

स्ना० का० नि० 238(अ):—अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 (1971 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर की ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें भारत की संचित निधि से संदाय किया जाता है और जिनकी यात्रा संघ के कार्यकलापों से सम्बन्ध रखती है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उदग्रहणीय समस्त अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर से एतद्द्वारा छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि कर्मचारी अपने कार्यालय के प्रधान से, जिसको वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 के नियम 10-क के अधीन उस हैसियत में घोषित किया गया है, इसके उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप में तीन प्रतियों में प्रमाणपत्र पेश करे।

उपाबंध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ——————————————

(पदाभिधान) को भारत की संचित निधि से संदाय किया जाता है और उसके द्वारा ——————

—————————— ——को ———————— से ——————

——————तक की गई/की जाने वाली हवाई यात्रा संघ के कार्यकलापों से संबंध रखती है।

[सं० 2-आई० ए० टी० टी०/72 फा० सं० 305/6/71-आई० ए० टी०टी०/सी० एक्स०-9]

आर० के० थावानी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972